FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ब.ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- रामनिवास पुत्र कालू जाति नाई (सेन) उम्र 57 साल निवासी ग्राम ढसूक तह0 अराई जिला अजमेर

–वादीगण

बनाम

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर

–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 16/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/..........

वकील वादी:– योगेश शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9/4/25	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 25/4/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। इंतजार तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 30/5/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............ दिनांक 18/7/25 को पेश हो।	
18/7/25.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रा० व प्र०/तहसीलदार अराई की मौका रिपोर्ट शामिल। वकील प्रार्थी प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थी [illegible] पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2025

रामनिवास पुत्र कालू जाति नाई (सेन), उम्र 57 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराँई, जिला अजमेर राजस्थान – प्राथी

बनाम

भू–धारी जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान । – अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 18.07.2025

उपस्थित:: वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 343 नया 360 के खसरा संख्या 1221/458 क्षेत्रफल 0.4045 हैक्टेयर (किस्म गै. मु.पत्थर) जो वाके ग्राम ढसूक, पटवार क्षेत्र ढसूक, भू.अ.नि.क्षे.ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। जो सम्पूर्ण आराजी भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के आगे उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज खसरा संख्या 1142/458 क्षेत्रफल 3.0095 हैक्टेयर (किस्म गै. मु. पत्थर) स्थित है, जिसके आगे खसरा संख्या 1218/351 गै.मु.सड़क है। जो कि सार्वजनिक उपयोग में लेने के लिए आम रास्ता (स्टेट हाइवे) है, जो प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी की कृषि भूमि के कृषि के प्रयोजन एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि पर जाने के लिये किसी प्रकार का कोई मार्ग / रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये के लिये रास्ते से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 1142/458 में से स्वंय प्रार्थी की भूमि तक आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी कृषि भूमि के जोत सिंचाई के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 1142/458 की भूमि में से होकर आता जाता है प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि से होकर नया मार्ग बनाना चाहता हैं, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। प्रार्थी को आप्रार्थी की भूमि से रास्ता बनाया जाता है तो अप्रार्थी को कोई क्षति नहीं होगी उक्त भूमि आप्रार्थी के लिए किसी प्रकार के कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त नहीं होती है एवं उक्त भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो राजस्थान सरकार को राजस्व की आय में वृद्धि ही होगी। प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का उपर्युक्त रास्ता नहीं

होने से तथा अप्रार्थी की संलग्न भूमि में से प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु 30 फीट का रास्ता दिया जाता है तो इससे किसी भी पक्षकार को क्षति नहीं होगी, और प्रार्थी का कृषि कार्य का उद्देश्य भी पूर्ण हो जायेगा, इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी को नियमानुसार राशि अदा करने को भी तैयार एवं तत्पर है, प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थी की भूमि में से 30 फिट के रास्ते की आवश्यकता है, इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को अपने कृषि भूमि में स्थित जोतो के उपयोग उपभोग, कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 1142/458 क्षेत्रफल 3.0095 हैक्टेयर (किस्म गै. मु.पत्थर) में से अधिकतम सीमा तक रास्ते हेतु भूमि विस्तारित करने की कृपा करावे। अन्य दादरसी न्यायालय दिलवाना उचित समझे दिलावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.04.2025 को दर्ज कियां गया तथा अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.07.2025 को रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अराँई के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2025 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) रामनिवास पुत्र कालू जाति नाई (सेन) नि. ग्राम ढसूक बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील अराई जिला अजमेर में प्रतिवादी संख्या 01 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई जिला अजमेर की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का ढसूक से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का ढसूक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी रामनिवास पुत्र कालू जाति नाई सा. देह खातेदार ग्राम ढसूक के वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता सं.360 के ख.न. 1175/459 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, ख.न. 1221/458 रकबा 0.4045 हैक्ट., ख.न.459 रकबा 0.8090 हैक्ट., ख.न. 383 रकबा 0.5663 हैक्ट. किता 4 कुल रकबा 2.4270 हैक्टेयर में वादी का पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी के ख.न. 1221/458 रकबा 0.4045 हैक्ट. किस्म गै. मु. पत्थर के उत्तर दिशा में (सीधे लगायत नहीं) ख.न. 1218/351 रकबा 5.2118 हैक्ट. किस्म गै. मु.सडक (अरांई मालपुरा स्टेट हाइवे) स्थित है। प्रार्थी की भूमि ख.न. 1221/458 एवं ख. न. 1218/351 (गै. मु. सडक) के मध्य खसरा नं. 1142/458 रकबा 3.0015 हैक्टेयर किस्म गै. मु. पत्थर अवस्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता सं. 1 राज. सरकार में दर्ज है। (जमाबन्दी संलग्न है)। शेष कथन प्रार्थी से संबंधित है । प्रार्थी की भूमि ख.न. 1221/458 तक राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। वर्तमान में ख.न. 1221/458 जिसमें प्रार्थी खातेदार है में आवागमन हेतु ख.न. 1142/458 के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक लघुतम मार्ग नहीं है। प्रार्थी को अपनी जोत पर पहुंचने हेतु 30 फीट का रास्ता चाहने से ख.न. 1142/458 रकबा 3.0095 हैक्ट. भूमि में से 0.0080 हैक्टेयर भूमि रकबा ग्रहित किया जावेगा जिसकी वर्तमान DLC दर के अनुसार मूल्य 8036/- रुपये होगा । प्रार्थी नियमानुसार राशि देने हेतु तैयार एवं तत्पर है। नजरी नक्शे में प्रस्तावित भूमि लाल रंग से प्रदर्शित है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 1221/458 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 1142/458 से निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1218/351 से आवागमन करता है। खसरा संख्या 1142/458 में से रकबा 0.0080 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) स्वीकृत किये जानें की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1221/458 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार अरांई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 1142/458 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0080 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 1142/458 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0080 हैक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 8036/— की दोगुणा राशि 16072/— अक्षरे सोलह हजार बहत्तर रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0080 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 16072/— अक्षरे सोलह हजार बहत्तर रूपये तहसीलदार अरांई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0080 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई